

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 01 सितम्बर, 2008/भाद्रपद 10, 1930 (शक)

संख्या- 277

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, एस.एच.ओ., आई पी एस्टेट, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक 29.08.2008 को 2.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 3.40 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Monday 1st September, 2008/10 Bhadra 1930 (Saka)

-No.277

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO I. P. Estate, Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act at 2.45 P.M. on 29.08.2008.

He was released at 3.40 P.M. from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary